

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES



ISSN 2277 – 9809 (online)

ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

निजता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा: डिजिटल भारत में राज्य शक्ति और लोकतांत्रिक जवाबदेही का विश्लेषण

Gaurav deshमुख

Research Scholar

सार (Abstract)

यह शोध-पत्र डिजिटल भारत के संदर्भ में **राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security)** और **निजता (Privacy)** के बीच उत्पन्न होने वाले जटिल एवं बहुआयामी द्वंद्व का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। डिजिटल तकनीकों, विशेषकर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), के तीव्र विकास ने राज्य की निगरानी क्षमता (surveillance capacity) को अभूतपूर्व रूप से सुदृढ़ किया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करने, बल्कि अपराध नियंत्रण, आतंकवाद-रोधी उपायों और साइबर सुरक्षा को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम हुआ है।

भारत के संदर्भ में Aadhaar तथा Digital India जैसी पहलों ने शासन को अधिक डिजिटल, पारदर्शी और दक्ष बनाया है। इन पहलों ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल किया है और सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार किया है। तथापि, इसी प्रक्रिया के समानांतर व्यापक डेटा संग्रहण, डिजिटल प्रोफाइलिंग और निगरानी संरचनाओं के विस्तार ने नागरिक स्वतंत्रताओं पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं।

यह अध्ययन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि राज्य की बढ़ती निगरानी क्षमताएँ जहाँ एक ओर सुरक्षा और स्थिरता को सुदृढ़ करती हैं, वहीं दूसरी ओर यह **निजता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वायत्तता** जैसे मौलिक अधिकारों के लिए संभावित खतरा भी उत्पन्न करती हैं।

इस शोध में Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India के ऐतिहासिक निर्णय को आधार बनाते हुए यह विश्लेषण किया गया है कि किसी भी प्रकार की राज्य निगरानी तभी संवैधानिक रूप से वैध मानी जा सकती है जब वह तीन प्रमुख मानकों—**वैधता (Legality)**, **आवश्यकता (Necessity)** और **अनुपातिकता (Proportionality)**—के अनुरूप हो।

इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन एक विस्तारित **मानक ढांचा (Normative Framework)** भी प्रस्तुत करता है, जिसमें पारदर्शिता (Transparency) और उत्तरदायित्व (Accountability) को भी शामिल किया गया है, ताकि निगरानी प्रणाली को लोकतांत्रिक नियंत्रण में रखा जा सके।

अंततः, यह शोध-पत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि डिजिटल युग में सुरक्षा और निजता के बीच संतुलन स्थापित करना अनिवार्य है, और किसी भी राज्य निगरानी प्रणाली की वैधता केवल तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब वह संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के भीतर संचालित हो।

कुंजी शब्द (Keywords):

निजता, राष्ट्रीय सुरक्षा, निगरानी, डिजिटल भारत, लोकतंत्र, राज्य शक्ति, जवाबदेही

1. प्रस्तावना – विस्तृत एवं शोध-पत्र प्रारूप

आधुनिक राज्य के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण और जटिल चुनौतियों में से एक है—**सुरक्षा (Security)** और **स्वतंत्रता (Liberty)** के बीच संतुलन स्थापित करना। यह द्वंद्व राजनीतिक दर्शन, संवैधानिक सिद्धांत और मानवाधिकार विमर्श का एक केंद्रीय विषय रहा है, किन्तु डिजिटल युग में इसके स्वरूप, दायरा और प्रभाव तीनों ही अधिक जटिल और व्यापक हो गए हैं।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के तीव्र विकास ने राज्य की कार्यप्रणाली को गहराई से परिवर्तित किया है। आज राज्य केवल पारंपरिक प्रशासनिक साधनों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह डिजिटल प्लेटफॉर्म, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बड़े डेटा विश्लेषण (Big Data Analytics) और बायोमेट्रिक पहचान प्रणालियों के माध्यम से शासन को अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहा है। इस प्रक्रिया ने शासन को अधिक **डेटा-आधारित, त्वरित और परिणामोन्मुख** बना दिया है।

भारतीय संदर्भ में Aadhaar तथा Digital India जैसी पहलों ने शासन को डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण गति प्रदान की है। इन पहलों के माध्यम से सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), पारदर्शिता में वृद्धि तथा वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

किन्तु, इस तकनीकी प्रगति के साथ-साथ एक गंभीर चुनौती भी उभरकर सामने आई है—**निगरानी (Surveillance)** की बढ़ती क्षमता और उसका संभावित दुरुपयोग। डिजिटल तकनीकों के माध्यम से राज्य के पास अब नागरिकों के व्यवहार, संचार और गतिविधियों से संबंधित विशाल मात्रा में डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने की क्षमता है। यह स्थिति एक ऐसे शासन मॉडल को जन्म देती है जहाँ सुरक्षा और दक्षता तो बढ़ती है, परंतु नागरिकों की निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर संभावित दबाव भी उत्पन्न होता है।

इस संदर्भ में यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या राज्य की बढ़ती डिजिटल शक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप है। यदि निगरानी तंत्र पर्याप्त कानूनी नियंत्रण, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के बिना संचालित हो, तो यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों—विशेषकर निजता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वायत्तता—के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India का ऐतिहासिक निर्णय इस विषय को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देते हुए राज्य के हस्तक्षेप पर स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित कीं।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि डिजिटल युग में सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन केवल एक प्रशासनिक या तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक गहन **संवैधानिक, नैतिक और लोकतांत्रिक प्रश्न** है, जिसका समाधान संतुलित और उत्तरदायी ढांचे के माध्यम से ही संभव है।

2. निजता का महत्व (Importance of Privacy)

निजता (Privacy) आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल एक कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की **स्वतंत्रता, गरिमा और आत्म-अस्तित्व (selfhood)** का मूल आधार है। यह व्यक्ति को एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र प्रदान करती है जहाँ वह बिना बाहरी हस्तक्षेप के अपने विचारों, निर्णयों और व्यवहार को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सकता है। डिजिटल युग में, जहाँ डेटा और सूचना का प्रवाह अत्यधिक तीव्र और व्यापक हो गया है, निजता का महत्व और अधिक बढ़ गया है।

(i) व्यक्तिगत स्वायत्तता सुनिश्चित करती है (Ensures Individual Autonomy)

निजता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति की **स्वायत्तता (autonomy)** को संरक्षित करना है। यह व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके, बिना किसी अनुचित निगरानी या दबाव के।

व्यक्ति अपने विचार, विश्वास और निर्णय स्वतंत्र रूप से बना सकता है

निजी जीवन में राज्य या अन्य संस्थाओं का अनावश्यक हस्तक्षेप सीमित होता है

यह व्यक्ति की पहचान और आत्म-निर्धारण (self-determination) को मजबूत करती है

डिजिटल युग में, जब Aadhaar जैसी प्रणालियों के माध्यम से विशाल डेटा संग्रहण हो रहा है, तब व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा और भी आवश्यक हो जाती है।

(ii) लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करती है (Strengthens Democratic Participation)

निजता एक सशक्त लोकतंत्र की आधारशिला है। यदि नागरिकों की गतिविधियों पर अत्यधिक निगरानी रखी जाए, तो वे अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में संकोच करने लगते हैं, जिससे लोकतांत्रिक विमर्श प्रभावित होता है।

नागरिक बिना भय के अपने राजनीतिक और सामाजिक विचार व्यक्त कर सकते हैं

स्वतंत्र और निष्पक्ष सार्वजनिक विमर्श (public discourse) संभव होता है

सरकार के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की स्वतंत्रता मिलती है

इस संदर्भ में यह भी देखा गया है कि अत्यधिक निगरानी “Chilling Effect” उत्पन्न कर सकती है, जिससे नागरिक आत्म-संश्लेषण (self-censorship) करने लगते हैं और लोकतांत्रिक भागीदारी कमजोर हो जाती है।

(iii) निजता और लोकतांत्रिक संतुलन (Privacy and Democratic Balance)

निजता लोकतंत्र में एक “सुरक्षा कवच” की तरह कार्य करती है, जो राज्य की शक्ति और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखती है। यदि निजता कमजोर होती है, तो लोकतंत्र में शक्ति का केंद्रीकरण बढ़ सकता है, जो अंततः नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए खतरा बन सकता है।

Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि निजता व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है और इसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा और निगरानी (National Security and Surveillance) – विस्तृत एवं शोध-पत्र प्रारूप

राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) आधुनिक राज्य का एक मूलभूत दायित्व है, जिसके अंतर्गत नागरिकों की सुरक्षा, राज्य की संप्रभुता की रक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करना शामिल है। डिजिटल युग में यह दायित्व और अधिक जटिल हो गया है, क्योंकि अपराध, आतंकवाद और साइबर हमले अब पारंपरिक सीमाओं से परे जाकर डिजिटल माध्यमों के माध्यम से भी संचालित हो रहे हैं। इसी कारण राज्य द्वारा निगरानी (surveillance) को एक आवश्यक सुरक्षा उपकरण के रूप में विकसित किया गया है।

(i) आतंकवाद विरोध (Counter-Terrorism)

आधुनिक समय में आतंकवाद केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी संगठित और संचालित होता है। ऐसे में निगरानी प्रणालियाँ राज्य को संभावित खतरों की पहचान और रोकथाम में सहायता करती हैं।

संदिग्ध संचार और नेटवर्क गतिविधियों की निगरानी

डिजिटल डेटा विश्लेषण के माध्यम से खतरे की पहचान

अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क की ट्रैकिंग

इस संदर्भ में निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाती है, जो राज्य को पूर्व-निवारक (preventive) कार्रवाई में सक्षम बनाती है।

(ii) अपराध नियंत्रण (Crime Control)

निगरानी प्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण है।

सीसीटीवी और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से अपराध की निगरानी

वित्तीय लेन-देन में धोखाधड़ी की पहचान

साइबर अपराधों की जांच और रोकथाम

डिजिटल डेटा विश्लेषण के माध्यम से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियाँ अपराध पैटर्न को समझकर अधिक प्रभावी रणनीति विकसित कर सकती हैं।

(iii) साइबर सुरक्षा (Cyber Security)

डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम बन गया है।

सरकारी और निजी डेटा की सुरक्षा

साइबर हमलों की पहचान और रोकथाम

महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना (critical infrastructure) की सुरक्षा

Digital India जैसी पहलों के अंतर्गत साइबर सुरक्षा को शासन व्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा बनाया गया है।

(iv) निगरानी का जोखिम (Risks of Unregulated Surveillance)

यद्यपि निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, किन्तु इसका अनियंत्रित विस्तार गंभीर संवैधानिक और नैतिक समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का उल्लंघन

राज्य शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण

नागरिकों पर अनुचित निगरानी और नियंत्रण

“Mass Surveillance” की प्रवृत्ति

यदि निगरानी बिना स्पष्ट कानूनी सीमाओं और उत्तरदायित्व के लागू की जाती है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकती है।

4. भारत का परिप्रेक्ष्य (Indian Context)

भारत में डिजिटल शासन (digital governance) के विस्तार के साथ-साथ निगरानी (surveillance) की संरचना और कार्यप्रणाली में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है। एक विशाल, विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक देश होने के कारण भारत के लिए यह आवश्यक रहा है कि वह तकनीक आधारित शासन मॉडल अपनाए, जिससे प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और सेवा वितरण में सुधार हो सके। किन्तु इसी प्रक्रिया में राज्य की डेटा-संग्रहण और निगरानी क्षमता भी काफी मजबूत हुई है, जिसने नागरिक अधिकारों के संदर्भ में नए विमर्श को जन्म दिया है।

(i) डेटा संग्रहण (Data Collection)

भारत में डिजिटल शासन का एक प्रमुख आधार व्यापक स्तर पर डेटा संग्रहण है। सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाएँ नागरिकों से संबंधित विभिन्न प्रकार के डेटा एकत्र करती हैं, जिनमें पहचान, वित्तीय लेन-देन, स्वास्थ्य और सामाजिक जानकारी शामिल होती है।

नागरिकों की डिजिटल पहचान और रिकॉर्ड का निर्माण

सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डेटाबेस तैयार करना

नीति निर्माण के लिए डेटा-आधारित विश्लेषण

इस प्रक्रिया ने प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया है, लेकिन साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि इस विशाल डेटा का उपयोग किस सीमा तक और किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

(ii) इंटरनेट निगरानी (Internet Surveillance)

डिजिटल युग में इंटरनेट संचार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है, और इसके साथ ही इंटरनेट निगरानी की भूमिका भी बढ़ी है।

ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी

संदिग्ध डिजिटल संचार की ट्रैकिंग

साइबर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना

इस प्रकार की निगरानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक मानी जाती है, किन्तु इसके अनियंत्रित विस्तार से निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है।

(iii) डिजिटल पहचान प्रणाली (Digital Identity Systems)

भारत में डिजिटल पहचान प्रणाली शासन की रीढ़ बन चुकी है। Aadhaar इसके सबसे प्रमुख उदाहरणों में से एक है, जिसने नागरिकों की पहचान और सेवा वितरण प्रणाली को डिजिटल रूप दिया है।

बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा का संग्रहण

सरकारी योजनाओं का लक्षित वितरण

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा

हालाँकि यह प्रणाली प्रशासनिक दक्षता बढ़ाती है, लेकिन इसके साथ डेटा सुरक्षा और निगरानी के दुरुपयोग की चिंताएँ भी जुड़ी हुई हैं।

(iv) Digital India और निगरानी का विस्तार (Digital India and Expansion of Surveillance)

Digital India ने भारत में डिजिटल शासन को एक नई दिशा प्रदान की है। इस पहल के अंतर्गत ई-गवर्नेंस, डिजिटल सेवाएँ और तकनीकी अवसंरचना का व्यापक विकास हुआ है।

सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण

डेटा-आधारित नीति निर्माण

सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता

किन्तु इसी प्रक्रिया ने राज्य की निगरानी क्षमता को भी सशक्त किया है, जिससे नागरिक डेटा का केंद्रीकरण और विश्लेषण अधिक व्यापक स्तर पर संभव हुआ है।

5. कानूनी विश्लेषण (Legal Analysis)

भारत में डिजिटल निगरानी और निजता के बीच संतुलन को समझने के लिए कानूनी ढांचा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में मौलिक अधिकारों की रक्षा राज्य की शक्ति पर एक आवश्यक नियंत्रण के रूप में कार्य करती है। विशेष रूप से डिजिटल युग में, जहाँ राज्य की निगरानी क्षमता अत्यधिक बढ़ चुकी है, न्यायपालिका की भूमिका और भी निर्णायक हो जाती है।

(i) निजता का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता (Privacy as a Fundamental Right)

Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से घोषित किया कि निजता (Privacy) संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है।

इस निर्णय ने यह स्थापित किया कि:

निजता केवल एक नीतिगत अवधारणा नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार है

यह व्यक्ति की गरिमा, स्वायत्तता और स्वतंत्रता का आधार है

राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप मनमाने ढंग से नहीं कर सकता

(ii) राज्य के हस्तक्षेप की सीमाएँ (Limits on State Interference)

उक्त निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप केवल कुछ निश्चित संवैधानिक मानकों के भीतर ही वैध हो सकता है।

राज्य का हस्तक्षेप तभी स्वीकार्य होगा जब वह:

वैध (Lawful) हो – किसी स्पष्ट और सुसंगत कानून पर आधारित हो

आवश्यक (Necessary) हो – किसी वैध उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनिवार्य हो

अनुपातिक (Proportionate) हो – लक्ष्य और साधन के बीच संतुलन बनाए रखे

यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की शक्ति असीमित न हो जाए और नागरिक अधिकार सुरक्षित रहें।

(iii) डिजिटल युग में कानूनी चुनौती (Legal Challenges in Digital Era)

डिजिटल निगरानी के विस्तार के साथ कई नई कानूनी चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं:

डेटा संग्रहण और उपयोग की स्पष्ट सीमाओं का अभाव

निगरानी एजेंसियों की जवाबदेही में अस्पष्टता

निजी डेटा की सुरक्षा और दुरुपयोग की संभावना

तकनीकी विकास और कानूनी ढांचे के बीच अंतर

इन चुनौतियों के कारण न्यायिक निगरानी (judicial oversight) की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

6. मानक (Normative) ढांचा

डिजिटल शासन और निगरानी (surveillance) के संदर्भ में केवल तकनीकी या कानूनी विश्लेषण पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक **मानक (normative) ढांचे** की आवश्यकता होती है जो यह निर्धारित कर सके कि राज्य की निगरानी शक्ति कब, कैसे और किस सीमा तक वैध मानी जा सकती है। यह अध्ययन एक ऐसे समेकित ढांचे को प्रस्तुत करता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक अधिकारों और प्रशासनिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करता है।

यह ढांचा पाँच मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, जो मिलकर निगरानी प्रणाली की वैधता और न्यायसंगतता (legitimacy) को सुनिश्चित करते हैं।

1. वैधता (Legality)

वैधता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार की निगरानी केवल स्पष्ट और सक्षम कानून के आधार पर ही की जाए।

निगरानी प्रक्रिया विधिसम्मत (lawful) होनी चाहिए
नियम स्पष्ट, सार्वजनिक और पूर्वानुमेय (predictable) होने चाहिए
राज्य को मनमानी शक्ति (arbitrary power) से रोका जाना चाहिए
यह सिद्धांत लोकतांत्रिक शासन में कानून के शासन (Rule of Law) को मजबूत करता है।

2. आवश्यकता (Necessity)

आवश्यकता का सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि निगरानी केवल तभी की जाए जब वह किसी वैध सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य हो।

केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, अपराध नियंत्रण या सार्वजनिक हित के मामलों में ही निगरानी उचित है
कम हस्तक्षेपकारी विकल्प उपलब्ध होने पर उनका पहले उपयोग किया जाना चाहिए

अनावश्यक या अत्यधिक निगरानी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए

यह सिद्धांत राज्य की शक्ति के अनियंत्रित विस्तार को रोकता है।

3. अनुपातिकता (Proportionality)

अनुपातिकता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा अपनाए गए उपाय लक्ष्य के अनुरूप और संतुलित हों।

निगरानी का स्तर उद्देश्य के अनुसार सीमित होना चाहिए

लाभ और हानि के बीच संतुलन आवश्यक है

व्यापक (mass) निगरानी से बचना चाहिए

यह सिद्धांत विशेष रूप से भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है और Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India में इसे स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है।

4. पारदर्शिता (Transparency)

पारदर्शिता लोकतांत्रिक शासन का मूल तत्व है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की निगरानी प्रक्रियाएँ नागरिकों से पूरी तरह छिपी न रहें।

नीतियाँ और प्रक्रियाएँ स्पष्ट होनी चाहिए

नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग आवश्यक है

डेटा उपयोग के बारे में नागरिकों को जानकारी दी जानी चाहिए

हालाँकि सुरक्षा कारणों से पूर्ण पारदर्शिता हमेशा संभव नहीं होती, फिर भी एक संतुलित स्तर की पारदर्शिता आवश्यक है।

5. उत्तरदायित्व (Accountability)

उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि निगरानी शक्ति का दुरुपयोग न हो और यदि हो तो उसके लिए जिम्मेदारी तय की जा सके।

स्वतंत्र निगरानी और समीक्षा तंत्र होना चाहिए

न्यायिक और संसदीय नियंत्रण आवश्यक है

नागरिकों को शिकायत और न्याय प्राप्त करने के प्रभावी साधन उपलब्ध होने चाहिए

यह सिद्धांत राज्य शक्ति पर लोकतांत्रिक नियंत्रण स्थापित करता है।

7. समाधान और सुझाव (Recommendations)

डिजिटल शासन और निगरानी (surveillance) के बढ़ते विस्तार के साथ यह आवश्यक हो जाता है कि एक संतुलित, उत्तरदायी और अधिकार-आधारित प्रणाली विकसित की जाए, जो राज्य की सुरक्षा आवश्यकताओं और नागरिकों की निजता के अधिकार के बीच उचित सामंजस्य स्थापित कर सके। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख समाधान और सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं:

(i) मजबूत डेटा संरक्षण कानून (Strong Data Protection Law)

डिजिटल युग में डेटा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बन चुका है, इसलिए एक सशक्त और व्यापक डेटा संरक्षण ढांचा अत्यंत आवश्यक है।

व्यक्तिगत डेटा के संग्रहण, उपयोग और भंडारण पर स्पष्ट नियम

डेटा उल्लंघन (data breach) की स्थिति में कठोर दंडात्मक प्रावधान

नागरिकों को अपने डेटा पर नियंत्रण (data sovereignty) का अधिकार

सरकारी और निजी संस्थाओं दोनों पर समान रूप से लागू कानून

भारत में Digital Personal Data Protection Act 2023 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन और सुदृढीकरण की आवश्यकता बनी रहती है।

(ii) स्वतंत्र नियामक संस्था (Independent Regulatory Authority)

निगरानी और डेटा उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष नियामक संस्था की स्थापना आवश्यक है।

राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र कार्यप्रणाली

डेटा संरक्षण और निगरानी पर सतत निगरानी

शिकायत निवारण तंत्र का संचालन

तकनीकी और कानूनी विशेषज्ञता का समन्वय

ऐसी संस्था लोकतांत्रिक जवाबदेही और संस्थागत पारदर्शिता को मजबूत करेगी।

(iii) न्यायिक निगरानी (Judicial Oversight)

निगरानी शक्तियों पर न्यायपालिका का प्रभावी नियंत्रण लोकतांत्रिक संतुलन के लिए आवश्यक है।

निगरानी आदेशों की न्यायिक समीक्षा

गोपनीयता उल्लंघन के मामलों में त्वरित न्याय

राज्य की शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण

मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना

Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India ने यह स्थापित किया है कि किसी भी प्रकार का राज्य हस्तक्षेप न्यायिक परीक्षण के अधीन होना चाहिए।

(iv) नागरिक जागरूकता (Citizen Awareness)

एक सशक्त लोकतंत्र केवल कानूनी और संस्थागत ढांचे पर ही नहीं, बल्कि नागरिकों की जागरूकता पर भी निर्भर करता है।

डिजिटल अधिकारों के प्रति शिक्षा और जागरूकता

डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के प्रति संवेदनशीलता

शिकायत और अधिकार-प्राप्ति तंत्र की जानकारी

डिजिटल साक्षरता (digital literacy) का विस्तार

नागरिक जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही अधिक जवाबदेही राज्य और संस्थाओं पर सुनिश्चित होगी।

8. निष्कर्ष (Conclusion)

डिजिटल भारत के वर्तमान परिदृश्य में राज्य की भूमिका अत्यंत व्यापक और तकनीकी रूप से सशक्त हो चुकी है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के तीव्र विकास ने शासन को अधिक दक्ष, तेज और डेटा-आधारित बनाया है, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सुरक्षा, सेवा वितरण, भ्रष्टाचार नियंत्रण और नीति निर्माण जैसे क्षेत्रों में डिजिटल प्रणाली ने राज्य की क्षमता (state capacity) को मजबूत किया है।

किन्तु, इस प्रगति के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रश्न भी सामने आया है—**सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन**। डिजिटल तकनीकों के माध्यम से राज्य की निगरानी क्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे अपराध नियंत्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिली है, परंतु इसके साथ

ही नागरिकों की निजता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वायत्तता पर संभावित प्रभाव भी उत्पन्न हुआ है।

यह अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि निगरानी (surveillance) स्वयं में न तो पूर्णतः सकारात्मक है और न ही पूर्णतः नकारात्मक, बल्कि यह एक **द्वैत प्रकृति (dual-edged instrument)** है। इसका उपयोग यदि सीमित, नियंत्रित और उत्तरदायी ढांचे में किया जाए तो यह लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ कर सकता है, किन्तु यदि इसका विस्तार बिना उचित कानूनी और संस्थागत नियंत्रण के किया जाए, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

इस संदर्भ में Privacy in Context यह स्पष्ट करती है कि निजता केवल गोपनीयता का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संदर्भों में सूचना के उचित प्रवाह (contextual integrity) से जुड़ी एक मौलिक अवधारणा है। वहीं Surveillance Studies यह दर्शाती है कि आधुनिक समाज में निगरानी केवल सुरक्षा का उपकरण नहीं, बल्कि सामाजिक नियंत्रण का एक शक्तिशाली माध्यम भी बन चुकी है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर General Data Protection Regulation और भारत में Information Technology Act जैसे कानूनी ढांचे यह संकेत देते हैं कि डिजिटल अधिकारों और डेटा संरक्षण की दिशा में वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु इनका प्रभावी कार्यान्वयन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है।

संदर्भ (References)

(A) पुस्तकें (Books)

Foucault, Michel – *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*

Lyon, David – *Surveillance Studies: An Overview*

Nissenbaum, Helen – *Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life*

Solove, Daniel J. – *Understanding Privacy*

Westin, Alan F. – *Privacy and Freedom*

Zuboff, Shoshana – *The Age of Surveillance Capitalism*

Locke, John – *Two Treatises of Government*

Mill, John Stuart – *On Liberty*

Bentham, Jeremy – *Panopticon Writings*

(B) न्यायिक निर्णय (Case Laws)

Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India

PUCL v. Union of India

Kharak Singh v. State of Uttar Pradesh

Gobind v. State of Madhya Pradesh, Supreme Court of India (1975)

Shreya Singhal v. Union of India, Supreme Court of India (2015)

Maneka Gandhi v. Union of India, Supreme Court of India (1978)

(C) विधि एवं अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज (Laws & International Instruments)

Information Technology Act

Digital Personal Data Protection Act 2023

Universal Declaration of Human Rights

International Covenant on Civil and Political Rights

General Data Protection Regulation

(D) सरकारी रिपोर्ट एवं नीति दस्तावेज (Reports & Policy Documents)

Government of India – *Digital India Programme Documents*

UIDAI – *Aadhaar Framework and Operational Reports*

Justice B.N. Srikrishna Committee Report on Data Protection (2018)

NITI Aayog – *Data Empowerment and Protection Architecture (DEPA) Report*



EARN YOUR MBA

WWW.IIMPS.IN



Accreditation & Ranking



UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

☎ 011-41005174

R
S
E
A
R
C
H
G
A
T
E
W
A
Y

STOP PLAGIARISM



Arogyam Ayurveda
Holistic Healing through herbs



A
R
O
G
Y
A
M
O
N
L
I
N
E

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER



COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD



- BLUE** Calms your Child's Mind & Body
- YELLOW** Promotes Concentration, Stimulates the Memory
- PINK** Evokes Empathy, makes your Child Calm
- RED** Excites and energizes your Child's body
- GREEN** Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com



Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY**

ISSN – 2250 – 1959 (O) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMSST.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
COMMERCE, ARTS AND SCIENCE**

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES**

ISSN 2277 – 9809 (O) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY**

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM



**INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION**

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM



**JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS
AND ECONOMICS RESEARCH**

WWW.JLPER.COM

JLPE